

**प्राचार्य का कार्यालय**  
**राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।**  
**आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा प्रहरी की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा।**  
**निविदा सूचना।**

निविदा सं०- 04/स्थापना- 2016-17

दिनांक- 20.07.2016

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण में आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा प्रहरी की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुभवी एजेंसी जिनके द्वारा कम से कम तीन संस्थानों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों आदि में सुरक्षाप्रहरी की सेवा प्रदान की गई हो तथा नीचे लिखे गए शर्तों का अनुपालन करते हो, से मुहरबंद निविदा 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर 4:30 बजे अपराह्न तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। 21 वें दिन अगर किसी प्रकार का अवकाश रहता है या किसी अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता है तो उसके अगले दिन तक निविदा प्राप्त की जायेगी। बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग, पटना के पत्रांक- 8809 दिनांक- 11.08.2015 के आलोक में सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा प्रहरी सेवा उपलब्ध करानी है। टंकित निविदा प्रपत्र दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में होगी जिसमें एक पर तकनिकी निविदा (लिफाफा -A) एवं दूसरे वित्तीय निविदा (लिफाफा -B) अंकित होगा। दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर प्रेषित करना होगा। साथ ही बंद लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या अवश्य अंकित होना चाहिए।

**तकनिकी निविदा के साथ निम्नांकित कागजात की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है :-**

1. अभिकरण के पास नियंत्री पदाधिकारी-सह-सचिव गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत वैध अनुज्ञप्ति हो। अनुज्ञप्ति की वैधता तीन वर्ष के लिए हो। अनुज्ञप्ति में यह भी उल्लेख हो कि अभिकरण को राज्य के किन-किन जिलों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, पश्चिम चम्पारण जिला में अंकित रहने पर छायाप्रति संलग्न करें।
2. न्यूनतम तीन सरकारी संस्थानों में उपरोक्त वर्णित सुरक्षा प्रहरी का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
3. अद्यतन आयकर कटौती प्रमाण पत्र, सेवा कर कटौती प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
4. Earnest Money के रूप में 10000/- (रु० दस हजार मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के पदनाम से देय एवं बेतिया में भुगतेय हो, अनिवार्य है।
5. निविदा (लिफाफा -B) में कर्मियों के भुगतान की दर श्रम संशाधन विभाग, बिहार सरकार के आलोक में न्यूनतम मजदूरी, ई०पी०एफ० आदि के साथ प्रति सुरक्षा कर्मी प्रतिदिन/प्रतिमाह (26 दिनों का) भुगतेय पारिश्रमिक का उल्लेख अवश्य हो। मुहरबंद लिफाफा में प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण - 845438 के पते पर केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा ही 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर 4:30 बजे अपराह्न तक ही प्राप्त किये जायेंगे। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के बाद आने वाले प्रथम सोमवार अथवा अवकाश रहने पर अगला कार्य दिवस को प्राचार्य के कक्ष में क्रय समिति के द्वारा अपराह्न 1:00 बजे खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनिकी निविदा

अस्वीकृत होने की स्थिति में संबंधित एजेंसी की वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी। समिति द्वारा चयनित अभिकरण को कार्य आदेश दिया जायेगा, जिसका भुगतान विभाग द्वारा उक्त मद में आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय आवंटित कार्य से चयनित एजेंसी को मुक्त कर दिया जायेगा। अपूर्ण निविदा या किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। विशेष परिस्थिति में निविदा खोलने की तिथि बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता है।

6. कार्यालय के वेबसाइट [www.gmcbettiah.org](http://www.gmcbettiah.org) पर देखी जा सकती है।

(डॉ० राजीव रंजन प्रसाद)  
प्राचार्य,  
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,  
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।